21

मुख्य अभियंता-3, पटना का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक-IIमु0अ0-3,ग्रा0क0वि0-18-835/19

प्रेषक,

मुख्य अभियंता-3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

/पटना,दिनांक

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल, छपरा।

विषय- शीर्ष 3054 योजना के अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, छपरा-1 के अधीन स्वीकृत 21 अदद पथों के प्राक्कलन पर प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग-आपका पत्रांक-859 अनु0 दिनांक-01.08.19

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कार्य प्रमंडल, छपरा-1 के अधीन स्वीकृत पथों के प्राक्कलन पर प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है। प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र के साथ संलग्न प्रशिष्ट 'क' के स्तम्भ 07 में अंकित है।

2. बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक-2009 दिनांक-02.07.19 के द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त है।
3. निर्माण कार्य 3054 की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
4. स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता अपने स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
5. स्थल निरीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाये कि प्राक्कलित पुल/पुलियों स्थल के आवश्यकता के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नहीं होने पर मुख्यालय को सूचित किया जाये।
6. अधीक्षण अभियंता पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को प्रत्येक माह की 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति न समझी जाए।
8. अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल, छपरा ऐसे मदों के दर, जो अनुसूचित दर में नहीं है, का दर विश्लेषण केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
9. प्राक्कलन में क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर मिट्टी की मात्रा की गणना की गयी है।

अनु0-स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन
ह0/-
मुख्य अभियंता-3, पटना।

ज्ञापांक- 5511 /पटना,दिनांक- 2-8-19

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमंडल, छपरा-1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

मुख्य अभियंता-3, पटना।